यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/105/2017 **दिनांक :** 28.11.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

यूएफबीयू की बैठक

यूएफबीयू की एक बैठक 13.11.2017 को एआईबीईए कार्यालय, मुम्बई में आयोजित की गई थी। इस बैठक में हुए विचार–विमर्श के विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र संख्या 28/36/2017/36 दिनांक 28.11.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

13.11.2017 को हुई यूएफबीयू की बैठक

यूएफबीयू परिपत्र : 13.11.2017 को एआईबीईए कार्यालय में मुम्बई में यूएफबीयू की बैठक आयोजित की गई। साथी के.के. नायर, अध्यक्ष यूएफबीयू ने बैठक की अध्यक्षता की।

1. बैंकिंग क्षेत्र पर बढ़ते हुए हमले : बैठक ने 15.9.2017 को संसद मोर्चा कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भागीदारी के लिए सभी इकाईओं तथा सदस्यों को अपनी प्रशंसा व्यक्त की। बैठक ने नोट किया कि सरकार अपने बैंकिंग सुधार उपायों के साथ और आगे बढ़ने की योजना बना रही है और इसलिए निर्णय लिया गया कि हमारे अभियान और संघर्ष को निरन्तर तथा सघन किया जाना चाहिए। यदि सरकार कोई प्रतिकूल निर्णय लेगी, तो हड़ताली कार्रवाई शुरू करने के निर्णय को दोहराते हुए, बैठक में निर्णय लिया गया कि हमारे जमीनी स्तर के सदस्यों तथा आम जनता को इन सभी हमलों को समझाने के लिए राज्य–स्तरीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए। लोक सभा के अध्यक्ष को याचिका प्रस्तुत करने के लिए जन हस्ताक्षर–अभियान शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। याचिका की प्रति के साथ इस कार्यक्रम का विवरण जल्द ही इकाईओं को भेजा जाएगा।

2. वेतन पुनरीक्षण : बैठक ने कामगार यूनियनों/अधिकारी संगठनों के साथ आईबीए द्वारा अब तक हुए विचार–विमर्श के विवरण का संज्ञान लिया। बैठक ने नोट किया कि जबकि गैर–वित्तीय माँगों पर विचार–विमर्श के कुछ दौर हुए हैं, आईबीए को अभी भी अपने प्रारंभिक प्रस्ताव के लिए आना है यद्यपि औपचारिक वार्ता शुरू होने के बाद से छः माह हो गए हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि नेगोशिएटिंग कमेटी की बैठक तुरन्त आयोजित करने और उनका प्रस्ताव करने के लिए आईबीए के साथ मामले को उठाया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि यूएफबीयू के प्रतिनिधि बैंकों के उच्च प्रबन्धन से मिलेंगे जिन्होंने आईबीए को अधिकारियों के लिए सीमित अधिकार पत्र दिया है।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में दो दिवसीय हड़ताल को समर्थन दें : यूनाईटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियन्स ने अपनी माँगों जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निजीकरण के विरोध के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों तथा

जारी पृष्ठ 2

अधिकारियों के लिए भविष्य निधि–पेंशन अनुरूपता का विस्तार, अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियाँ, प्रायोजक बैंकों के समान सेवा शर्तों में समानता आदि पर 11 तथा 12 दिसम्बर, 2017 की दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। उनकी हड़ताल तथा माँगों को निम्नानुसार अपना समर्थन देने का निर्णय लिया गया :

i. यूएफबीयू की ओर से वित्त मंत्री को पत्र लिखा जाये
ii. घटक यूनियनों द्वारा वित्त मंत्री को पत्र लिखा जाये
iii. हमारे सदस्यों की 11 तथा 12 दिसम्बर को हड़ताल के दिनों में उनके प्रदर्शनों में भागीदारी।

4. 27 दिसम्बर, 2017 की एआईबीईए–एआईबीओए हड़ताल को समर्थन : बैठक ने आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए तत्काल वेतन पुनरीक्षण की माँग करते हुए 27 दिसम्बर, 2017 की अखिल भारतीय हड़ताल के लिए एआईबीईए तथा एआईबीओए द्वारा किए गए आह्वान को आपसी समर्थन देने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष, आईबीए को यूएफबीयू का पत्र

1. ''आपको ज्ञात ही है कि हमारी कर्मचारी यूनियनों तथा अधिकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए माँग पत्र पर, मई, 2017 से विचार–विमर्श शुरू हुआ और विचार–विमर्श के कुछ दौर भी हुए हैं। शुरूआत से ही आईबीए ने यह व्यक्त किया है कि पूरे विचार–विमर्श को जल्द से जल्द समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, विशेषतः दीवाली त्यौहार से पहले जिससे कि पुनरीक्षित वेतनमान 1.11.2017 से लागू किया जा सके। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार भी लगातार सूचनायें जारी करता रहा है कि वार्तालाप 1.11.2017 से पहले समय से पूरा किया जाना है।

2. लेकिन यह महसूस किया गया है कि जबकि गैर–वित्तीय माँगों पर विचार–विमर्श हो रहा है, अभी तक आईबीए ने वेतन में वृद्धि पर कोई प्रस्ताव नहीं किया है। आप भी यह महसूस करेंगे कि वेतन में वृद्धि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए माँग पत्र का महत्वपूर्ण अंश है तथा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आईबीए की चुप्पी, हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

3. विचार–विमर्श को जल्द अंतिम रूप देने तथा पारस्परिक विचार–विमर्श के माध्यम से समझौते में तेजी लाने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, हम इंगित करना चाहते हैं कि शीघ्र समझौता सम्भव नहीं है यदि आईबीए वेतन वृद्धि की मात्रा पर अपना प्रस्ताव करने के लिए तथा बिना किसी देरी के समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सभी की संतुष्टि के लिए इस पर बातचीत करने के लिए आगे नहीं आती है।

4. पिछले छह महीनों के लिए वेतन पुनरीक्षण पर प्रस्ताव करने में आईबीए की अनिच्छा या देरी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के सामान्य कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों में असंतोष और बेचैनी पैदा कर रही है और इसलिए इसे और अधिक विलंब करना वांछनीय नहीं है। जैसा कि बैठक के अंतिम दौर में पहले ही अनुरोध किया गया है, हम आईबीए से आग्रह करते हैं कि नेगोशिएटिंग कमेटी की बैठक तुरंत आयोजित की जाए, अपना आंरभिक प्रस्ताव करें तथा शीघ्रता से समझौते को अंतिम रूप दें जिससे कि कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण समझौते की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाए।

आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा में''

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री